संख्या-24/2018/575/38-6-18-15(एलसी)/2013

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक-26 नवम्बर, 2018**

विषयः- यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 द्वारा बी0पी0एल0 सर्वे हेतु आपूर्तित साफ्टवेयर/हार्डवेयर के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, ग्राम्य विकास के पत्रांक-142/नजारत/2018, दि0-24.09.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 द्वारा बी0पी0एल0 सर्वे हेतु आपूर्तित साफ्टवेयर/हार्डवेयर के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-13 के अन्तर्गत अनुपूरक बजट व्यवस्था में रू0-20.94 लाख की व्यवस्था की गई है। उक्त अनुपूरक बजट में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रू0-20.94 लाख(रूपये बीस लाख चौरान्नबे हजार मात्र) को आयुक्त ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास को कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर की आपूर्ति किये जाने एवं आपूर्त किये गये सामग्री की गुणवत्ता मानक के अनुरूप होने सहित बिलों के सत्यापन का दायित्व पूर्णरूप से आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

2- यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 की लम्बित देनदारी की धनराशि की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रायोजन हेतु किया जायेगा, वस्तुत: जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

6- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

hasanadesh.up.nic.in

7- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दि0-30.03.2018 व अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दि0-01.09.2018 में दिये गये निर्देशों/आदेशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के अन्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि लेखा शीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-06-यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 द्वारा बी0पी0एल0 सर्वे हेतु आपूर्तित साफ्टवेयर/हार्डवेयर के लम्बित देयको का भुगतान-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0- यू0ओ0ई0–2-1051/दस-18, दि0-15.11.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव।

<u>संख्या-24/2018/575/38-6-2018 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
6- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

hasanganj.up.nic.in